शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के प्रस्ताव "स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के अंतर्गत टिहरी चम्बा कलस्टर की ठोस अपशिष्ठ प्रबंधक परियोजना का निर्माण" के संबंध में प्रस्ताव/आगणन के अनुमोदनार्थ मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आहूत बैठक दिनांक 07 अगस्त, 2019 का कार्यवृत्त।

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सम्पन्न व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 07 अगस्त, 2019 में उक्त प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया। बैठक में निम्न अधिकारीगण उपस्थित थेः–

1–सर्व श्री अमित सिंह नेगी, सचिव, वित्त/नियोजन, उत्तराखण्ड शासन।
2–श्री शैलेश बगोली, सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3–श्री विनोद कुमार सुमन, अपर सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन
4–नियोजन विभाग एवं टी0ए0सी0, वित्त के अभियंतागण।

1. परियोजना प्रस्ताव–

1.1 नगरपालिका द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है।

1.2 उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में प्रस्ताव/आगणन का गठन नगरपालिका परिषद चम्बा–टिहरी द्वारा गठित किया गया है।

2. आवश्यकता एवं औचित्य–

प्रस्तुत योजना भारत सरकार की स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत भारत सरकार संचालित की जा रही है। इस प्रकार योजना के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए राज्य के विभिन्न नगरों में योजना क्रियान्वित की जा रही है। इसी कम में टिहरी–चम्बा नगरों में भी उक्त योजनाओं का क्रियान्वित प्रस्तावित है। चम्बा शहर अत्यधिक घनी आबादी में बसा हुआ है। प्रत्येक घर से कूडा एकत्रित कर उसको समुचित व्यवस्था से ढुलान कर उसके वैज्ञानिक निस्तारण हेतु नितान्त आवश्यकता है। इसी प्रकार टिहरी नगर में भी प्रत्येक घर से कूडा एकत्रित करने तथा उसे ढुलान एवं वैज्ञानिक निस्तारण की भी कोई समुचित व्यवस्था नहीं है।

अतः उक्त दोनों नगरों की सफाई एवं जनस्वास्थ्य के दृष्टि से ठोस अपशिष्ट निस्तारण की नितान्त आवश्यकता है।

3. भूमि की उपलब्धता/प्राविधानः–

विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि योजना निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध है।

4. निर्माण दरेंः–

आंगणन में दरें डी0एस0आर0–2016 एवं MORD एस0ओ0आर0 2017 की ली गयी है।

कमशः पृष्ठ 2/–

5.लागत विवरण का सारांशः–

Amt. In ₹ Lakhs

Sl. No.	Item Description	Cost of Work			
		S.I.		N.S.I.	
		Chamba	New Tehri	Chamba	New Tehri
1	Source Segregation-Storage	-	-	6.24	8.72
2	Collection and Transportation of waste	-	-	31.78	55.77
3	Closure of Current dump site	-	-	13.67	-
4	Marterials and Machinary	-	-	0.37	38.85
5	Civil Works	-	346.51	-	55.37
6	Environmental Monitoring	-	-	-	2.56
7	Environmental Clearance (EIA)	-	-	-	12.71
8	Contigencies @3%	-	10.39	-	-
	Total		356.90	52.06	173.98
	Total (356.90+52.06+173.98-9.70)	582.94			
	Machanical Composting Machine की लागत रू0 9.70 लाख को घटाते हुए योजना की कुल लागत	582.94-9.70 =573.24			
	Grand Total	573.24			

6.व्यय वित्त समिति की बैठक से पूर्व प्रस्तुत राज्य योजना आयोग का अभिमतः–

- आगणन विभागीय स्तर की समिति से संस्तुत है।
- राज्य योजना आयोग द्वारा परीक्षण करने पर Mechanical Composting Machine अनावश्यक प्रतीत होती है। अतः उसका मूल्य रू0 9.70 लाख को संस्तुत धनराशि से कम किया जाय। उपरोक्त सुझावों पर सहमति के पश्चात विभागीय समिति द्वारा अनुमोदित धनराशि रू0 582.94 लाख की लागत से Mechanical Composting Machine की लागत रू0 9.70 लाख को कम करते हुए संशोधित धनराशि रू0 573.24 लाख की धनराशि प्रस्तावित है।
- पूर्व में नियोजन विभाग की पृच्छाओं का निराकरण प्रशासकीय विभाग द्वारा कर दिया गया है जिसका विवरण निम्नवत् हैः–

S.No.	Suggestion	Reply/Compliance
1	Indore Model is good example to follow And various initiatives can be replicatd.	Duly noted and material will be shared to the respective ULB's officials.
2	Secondary dustbins should be avoided as far as possible and bin free system should be implemented	The same idea already incorporated, since it's a tourist place having high floating population only medium size bins provided for catering to those needs
3	Vehicle should have segregated chambers, for encouraging source segregation	Same has been incorporatd and ULBs will be advised to have similar design during the procurement phase.

क्रमशः पृष्ठ 3/–

4	Mechanical composting machine felt not necessary & its operations & maintenance will be difficult, same can be removed.	Accepted and same will be incorporated. Amount 9.70 lakhs in capital expenditure will be reduced henceforth.
5	Please explain the dry waste processing model	The segregated dry waste will be collected at Household level and will be further segregated at the recycling centre by the safai karmacharis and will be sold to local kabadiwalas, details are given in Pg. 65 of the DPR
6	Explain the costing of machinery given in the project.	1. All item rate are attached in vol2 of the DPR and rates are as per quotes given by GEM and local vendors. 2. Nagar palika is advised to follow uttarakhand procurement rules 2017 in all the procurement processes.

7. व्यय वित्त समिति में विस्तृत चर्चा के उपरान्त अभिमत/निर्णयः–

प्रश्नगत योजना निर्माण के संबंध में आयोजित व्यय वित्त समिति द्वारा विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। विस्तृत चर्चा के उपरान्त समिति द्वारा योजना आगणन कुल धनराशि **₹ 573.24 लाख (उक्त प्रस्तर–5 में अंकित लागत विवरण के सारांश के अनुसार) निम्नलिखित प्रतिबंधों के साथ व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया गयाः–**

1. भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत Solid Waste Management Act 2016 से निर्गत दिशा–निर्देशों का शतप्रतिशत अनुपालन किया जायेगा।
2. शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत ठोस अपशिष्ट निस्तारण हेतु समय–समय पर निर्गत आदेशों एवं दिशा–निर्देशों का समुचित अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
3. अम्बिकापुर मॉडल जिसका उपयोग छत्तीसगढ़ राज्य में किया जा रहा है, के अनुरूप ही योजनान्तर्गत सूखे कूडे की श्रेणीवार अलग–अलग करते हुए उसे बाजारी भाव से विक्रय किये जाने व्यवस्था की जाय।
4. योजनान्तर्गत यह प्रयास किया जाय कि समस्त गीले कूडे को कम्पोस्ट खाद के रूप में परिवर्तित किया जाय तथा सूख कूडे का पुनः उपयोग करते हुए उसे विक्रय किया जाय तथा विक्रय के उपरान्त अनिस्तारित अवशेष कूडे को ही डम्पिग साइड में निस्तारित किया जाय।
5. डम्पिग साइड का चयन करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाय कि डम्पिंग साइड से किसी भी जल स्रोत के प्रदूषण की कोई सम्भावना न हो।
6. कार्य निर्धारित अवधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय। इसके पश्चात् डी0पी0आर0 में किसी प्रकार का पुनरीक्षण अनुमन्य नहीं होगा।
7. निर्माण सामग्री यथा Bricks, cement, steel एवं अन्य का Frequency के अनुरूप N.A.B.L. Laboratory से परीक्षण अवश्य करा लिया जाय।

क्रमशः पृष्ठ–4/–

8. प्रोक्योरमेंट मदों के संबंध में कार्यवाही अधिप्राप्ति नियमावली—2017 के अनुसार की जाय।

9. आगणन में कार्यदायी संस्था द्वारा डी0एस0आर0 एवं MORD तथा एस0ओ0एस0 —2017 की दरें ली गई है एवं उसी के अनुरूप मदें एवं विशिष्टियां भी उल्लिखित हैं। विशिष्टियां तथा दरों में परिवर्तन की दशा में कार्य की कुल स्वीकृत लागत में भी परिवर्तन हो सकता है। ऐसी स्थिति में कार्यदायी संस्था तथा प्रशासकीय विभाग के विभागाध्यक्ष की स्वीकृति अनिवार्य होगी। अतः मितव्ययता के दृष्टिकोण से यह अपहरिहार्य है कि कार्यदायी संस्था योजना की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करते समय उन्हीं मदों का आगणन में समायोजन करेंगें जो अपहरिहार्य मदें हैं। यह सही हैं कि मदें डी0एस0आर0 में हैं, लेकिन स्थल की आवश्यकता को देखते हुए ऐसा यह अपरिहार्य नहीं है कि उनका प्रयोग भी आवश्यक होगा। अतः तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करते समय तकनीकी स्वीकृतकर्ता अधिकारी तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने से पूर्व उन मदो का विशेष रूप से ध्यान रखा जाय।

व्यय वित्त समिति के उपरोक्त **कमांक—1 से 09 तक** की शर्तो का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

उक्त शर्तो का समावेश इस संबंध में जारी किये जाने वाले शासनादेश में अवश्यमेव सम्मिलित किया जाय।

अन्त में अध्यक्ष, व्यय वित्त समिति द्वारा बैठक में उपस्थित समस्त प्रतिभागियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई।

उत्पल कुमार सिंह
मुख्य सचिव

राज्य योजना आयोग
नियोजन विभाग
उत्तराखण्ड शासन,
संख्या— 1258/453—रा0यो0आ0—व्य0वि0स0/2019—20
देहरादूनःदिनांकः 19 अगस्त, 2019

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

(1) सचिव, वित्त/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
(2) सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
(3) मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
(4) एक प्रति गार्ड फाइल हेतु।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।